राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.1निचिस्वा/विधि/सामान्य/2024/47 दिनांकः– 20/02/2024

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान ,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः–माननीय न्यायालयो में विचारधीन प्रकरणों में अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन विधिक प्रकरणों जिनमें आपको अथवा आपके अधीन कार्यरत अधिकारियो को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ऐसे विचाराधीन प्रकरणों में निर्धारित नियत तारीख पेशी से पूर्व प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरण में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से आवश्यक रूप से सम्पर्क कर राजकीय अधिवक्ताओ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करावें। एवं नियत सुनवाई तिथि पर समस्त दस्तावेजो सहित माननीय न्यायालय में उपस्थिति होकर आवश्यक कार्यवाही संपादित करे। ताकि सुनवाई तिथि पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई विपिरित आदेश पारित किये जाने एवं माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियो को तलब किये जाने की परिस्थिति उत्पन नही हो सके।

उक्त निर्देशो की पालना प्राथमिकता पर आवश्यक रूप से कि जावे अन्यथा माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के विरूद्ध विपरित आदेश पारित होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेगें।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.1निचिस्वा/ विधि/सामान्य 2024/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2/3)विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक(अराजपत्रित), मुख्यालय।
4. अति0 निदेशक(राजपत्रित), मुख्यालय।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
6. स्थाई अधिवक्ता, सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर/जोधपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सभी सम्बन्धित अधिकारियो को मेल कर विभागीय साइट पर अपलोड करे।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।